



सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी

नीरजा धनकर

डीन एवं एसो0 प्रोफेसर*

*शिक्षा विभाग, हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड

अलका गौड़

शोधार्थी*

Received : 15/06/2017

1st BPR : 12/06/2017

Revised : 25/06/2017

2nd BPR : 30/06/2017

Accepted : 05/07/2017

ABSTRACT

वैदिक युग से आधुनिक युग तक महिलाओं की स्थिति समाज में तथा राजनीति दोनों में बदलती रही है। भारतीय समाज में नारी की स्थिति अत्यन्त विरोधाभास रही है। एक ओर नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, तो वही दूसरी तरफ उसे अबला समझ कर उस पर अत्याचार किये जाते हैं। हमारा देश प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान देश रहा है। अपितु यह कहना तो उचित न होगा कि स्त्रियों का शोषण मात्र पुरुष वर्ग ने ही किया बल्कि पुरुष से ज्यादा तो एक स्त्री ने दूसरी स्त्री पर अत्याचार किया है। भारत में सैद्धान्तिक रूप से स्त्रियों को उच्च दर्जा ही दिया गया है। मातृत्व आदर व सम्मान यह हमारे भारतीय समाज व संस्कृति की विशेषता रही है, यही वजह है कि अपने देश को हम भारत माता कहकर पुकारते हैं। आज भी हमारे समाज व परिवार में नारी को अहम भूमिका है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, परिवार के सभी घटक उसी के चारों ओर घूमते हैं तथा वहीं उनका पोषण भी करती है।

प्रस्तावना

पुरुष एवं स्त्री दोनों एक ही रथ के दो पहियों की भांति कार्य करते हैं, वे दोनों ही जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना बराबरी से करते हैं, दोनों में से किसी एक के बिना भी जीवन रूपी रथ का चलना संभव नहीं है, किसी भी समाज के विकास हेतु जितना सहयोग पुरुष का आवश्यक है उतना ही सहयोग एक स्त्री का भी है। परन्तु हमारे रूढ़िवादी समाज में कुछ व्यक्ति इस काल को समझने में सक्षम नहीं हैं यही कारण है कि भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें समय-समय के साथ बदलाव होते रहे हैं। वैदिक युग से आधुनिक युग तक महिलाओं की स्थिति समाज में तथा राजनीति दोनों में बदलती रही है। भारतीय समाज में नारी की स्थिति अत्यन्त विरोधाभास रही है। एक ओर नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, तो वही दूसरी तरफ उसे अबला समझ कर उस पर अत्याचार किये जाते हैं। हमारा देश प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान देश रहा है। अपितु यह कहना तो उचित न होगा कि स्त्रियों का शोषण मात्र पुरुष वर्ग ने ही किया बल्कि पुरुष से ज्यादा तो एक स्त्री ने दूसरे स्त्री पर अत्याचार किया है। हालांकि भारत में सैद्धान्तिक रूप से स्त्रियों को उच्च दर्जा ही दिया गया है। मातृत्व आदर व सम्मान यह हमारे भारतीय समाज व संस्कृति की विशेषता रही है, यही वजह है कि अपने देश को हम भारत माता कहकर पुकारते हैं। आज भी हमारे समाज व परिवार में नारी को अहम भूमिका है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, परिवार के सभी घटक उसी के चारों ओर घूमते हैं तथा वही उनका पोषण भी करती है। हमारे समाज में नारी को पति के लिए चरित्र, संतान के लिये ममता, समाज के लिये शील तथा विश्व के लिए करुणा संजोने वाली कृति माना गया है। भारत में नारी जागृति का दौर, प्राचीन काल से ही माना जाना है। नारी ने प्राचीन काल से आधुनिक युग तक अपने अधिकारों व कर्तव्यों हेतु एक लम्बी यात्रा तय की है। समय परिवर्तनशील है, अतः नारी की स्थिति भी समय के साथ-साथ बदलती रही है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक वह कई बदलावों से गुजरी है, यदि हम प्राचीन काल अथवा वैदिक युग की बात करें तो उस समय नारी एक मजबूत स्थिति में थी।

वैदिक युग में महिलाओं की भागीदारी

वैदिक युग एक मुक्त समाज था। जहां पर स्त्री व पुरुष बराबरी के हिस्सेदार थे। वैदिक काल में भी परिवार में पितृ सत्ता का महत्व था परन्तु साथ ही साथ परिवार व समाज में स्त्रियों की महत्वता को भी नकारा नहीं जा सकता। महिलाओं को भी पुरुषों की भांति बराबरी के अधिकार थे। वैदिक युग में लड़कियाँ भी लड़कों की भांति शिक्षा ग्रहण करने हेतु विद्यालय जाती थी। जहाँ पर उन्हें शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। वहीं कन्याएँ वेदों की शिक्षा ग्रहण करती थी। वैदिक काल में कन्याओं में उपनयन संस्कार भी किए



जाते थे। टडंल (2013) के अनुसार वैदिक काल में कन्याएँ भी उपनयन पहनती थीं जो उन्हें वैदिक ज्ञान तथा प्रभु से मिलवाने में मदद करता था। वैदिक काल में महिलाओं को अपने विवाह हेतु अपना वर चुनने की भी पूर्ण स्वतंत्रता थी। लडकियाँ एक सभा में अपना मनचाहा वर चुनती थीं तथा वह अवसर स्वयंवर के नाम से जाना जाता था। विवाह के पश्चात एक कन्या गृहणी बन जाती थी। गृहणी बनकर उसका महत्व परिवार में और अधिक बढ़ जाता था। शादी के पश्चात पुरुष अपनी पत्नी के बिना अधूरा माना जाता था। किसी भी धार्मिक कामों में पति व पत्नी दोनों का होना अनिवार्य माना जाता था। पति पत्नी दोनों में से किसी एक के भी न होने पर धार्मिक कर्म को अधूरा माना जाता था, धार्मिक कार्यों में दोनों पति व पत्नी का उपस्थित होना अनिवार्य समझा जाता था। घर के सभी निर्णयों में भी महिलाओं की पूर्ण हिस्सेदारी मानी जाती थी। कई शासक वैदिक काल में ऐसे भी रहे हैं जो कि अपने शासन को चलाने में अपने परिवार की महिलाओं से भी सलाह लेते थे। वैदिक काल में बहुत सी महिलाएँ ऐसी रही जिनका राजनीति व समाज के विकास हेतु महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारे वेद कई महिला साध्वियों और सतों के बारे में बताते हैं जिनमें गार्गी और मैत्रेयी आदि महान महिलाओं के नाम शामिल हैं।

मध्ययुगीन काल में महिलाओं की भागीदारी

जैसे जैसे समय बीता महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती चली गई। मध्ययुगीन काल में कई कारणों से महिलाओं की महत्वता समाज में कम होती दिखाई दी। इसी कारण में मध्ययुगीन काल महिलाओं के लिये “अधकार युक्त काल” साबित हुआ। इस युग में महिलाओं को बहुत सी यातनाओं को सहन करना पड़ा। ऐसी बहुत सी कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थीं जिनके कारण महिलाओं का जीवन दुभर हो चुका था। वे अपनी इच्छास्वरूप कही आ जा नहीं सकती थी। इस काल में महिलाएँ मात्र पुरुषों में हाथों की कठपुतलियाँ बन कर रह गई थीं। वे पूर्णतः शादी से पूर्व अपने पति व भाई तथा विवाह पश्चात अपने पति व पुत्र की इच्छाओं पर ही निर्भर थीं। महिलाओं को विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। उस काल की कुछ बड़ें घर की लडकियाँ ही विद्यालय जाती थीं, वे भी विद्यालय सिर्फ इसलिये जाती थी ताकि शिक्षा ग्रहण कर उन्हें विवाह हेतु एक अच्छा वर मिल जाये तथा विवाह पश्चात वे एक कुशल गृहिणी साबित हो सकें। मध्ययुगीन काल में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं ने महिलाओं की स्थिति और खराब कर दी थी। भारत में मध्ययुगीन काल में लगातार मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, ऐसी स्थिति में माता-पिता अपनी कन्याओं की सुरक्षा हेतु बाल्यावस्था में ही उनका विवाह कर देते थे, दूसरी ओर हमारे समाज के रूढ़िवादी व्यक्ति इस प्रथा को धर्म से जोड़ देते हैं तथा धर्म का हवाला देकर बाल्यावस्था में ही उनका विवाह कर देते थे। महिलाओं की स्वतंत्रता के हनन हेतु पर्दा प्रथा जैसी कुरीति भी जिम्मेदार है। पर्दा प्रथा के कारण महिलाएँ अपनी इच्छानुरूप न तो कही जा सकती थीं, न ही कोई कार्य अपनी इच्छास्वरूप कर सकती थीं, ऐसी स्थिति में समाज व राजनीति में उनका हिस्सा लेना संभव ही कहाँ था, मध्ययुगीन काल में महिलाओं हेतु सती प्रथा भी व्याप्त थी। सती प्रथा के अनुसार जिस महिला के पति का देहान्त हो जाता था वह महिला अपने पति की चिता पर जलकर अपने प्राण त्याग देती थी। इस प्रथा के द्वारा महिलाएँ अपने सचरित्र हाने का सबूत देती थीं। यदि कोई महिला सती होने से इंकार कर दे तो रूढ़िवादी समाज के लोग उस महिला के चरित्र को कुचरित्र का नाम देकर उसका समाज में रहना दूभर कर देते थे। जब किसी समाज में महिलाओं हेतु इतनी सारी कुरीतियाँ व्याप्त हो तो ऐसे में महिलाओं के सामाजिक शैक्षिक, राजनीतिक हिस्सेदारी तथा विकास की बात तो हम सोच ही नहीं सकते।

समाज में इन सभी कुरीतियों के व्याप्त होने के पश्चात भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, समाज तथा शिक्षा के क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी को साबित किया है। रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी महिला साम्राज्ञी थी जिन्होंने महिलाओं पर इतनी रोक होने के बावजूद भी पूरी दिल्ली पर शासन किया। गोड़ की महारानी दुर्गावती ने मुगल सम्राट अकबर के सेनापति असिफ खान को हराकर पंद्रह वर्षों तक शासन किया। चाँद बीबी ने अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी व अपने अहमदनगर की रक्षा करी। जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया और मुगल राजगद्दी के पीछे वास्तविक शक्ति के रूप में पहचान हासिल की। मुगल राजकुमारी जहाँआरा और जेकुन्निसा जैसी प्रसिद्ध कवित्रियाँ थी जिन्होंने सत्तारूढ़ प्रशासन को भी प्रभावित किया, शिवाजी की माँ जीजाबाई को एक योद्धा और एक प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता के कारण क्वीन रीजेंट के रूप में पदस्थापित किया गया था। झॉंसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के आगे नहीं झुकी तथा अपने निरंतर प्रयास से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जब तक रानी लक्ष्मीबाई जिंदा रहीं उन्होंने अपनी जान की फिक्र न करते हुए भी अपनी झॉंसी व प्रजा की रक्षा की। अवध की सह शासिका बेंगम हजरत महल भी एक कुशल शासिका साबित हुई तथा अंग्रेजों के साथ सौदेबाजी से उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। भोपाल की बेगम भी उस समय की कुछ महत्वपूर्ण महिला शासिकाओं में सम्मिलित थी जिन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं अपनाया बल्कि उन्होंने मार्शल आर्ट सीखी। इस प्रकार मध्ययुगीन काल में अनन्त कुरीतियों के व्याप्त होने के पश्चात भी इन सभी महान महिलाओं ने अपने सामाजिक व राजनीतिक समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया तथा उस समय भी व आज के युग में भी ये सभी अन्य महिलाओं के सामने महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत उदाहरण साबित हुयी। अंग्रेजों के शासनकाल में कई समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर व ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के उत्थान के लिए लड़ाईयाँ लड़ी। 1917 में महिलाओं के पहले प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं के



राजनीतिक अधिकारों की माँग के लिये विदेश सचिव से मुलाकात की जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हासिल था। 1927 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया था। 1929 में बाल विवाह निशेध अधिनियम को पारित किया गया।

आधुनिक युग में महिलाओं की भागीदारी

भारत की आजादी के संघर्ष में भी महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिनमें डा० एनी बेसन्ट, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अरुनाआसफ अली, सुचेता कृपलानी तथा कतुरबा गांधी आदि महान हस्तियों के नाम शामिल हैं। स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं का सामाजिक व राजनीतिक कार्यों में भागीदारी और अधिक बढ़ गई थी। संविधान के महत्वपूर्ण कदम मतधिकार द्वारा महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। इसके अलावा पंचायती राज एक्ट के द्वारा महिलाओं के लिए पंचायती राज प्रणाली में 33 प्रतिशत आरक्षित सीटों के कारण भी महिलाओं का राजनीतिक विकास हुआ है, इसके द्वारा शहरी महिलाओं के साथ-साथ ग्रामीण महिलाएं भी अपने अधिकारों तथा अपनी राजनीतिक व सामाजिक भूमिका के प्रति अधिक सजग हुई हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा सभी महिलाओं को समान अधिकार दिये गये, अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार राज्य द्वारा कोई भेदभाव न करने, अनुच्छेद 16 के अनुसार अवसर की समानता, अनुच्छेद 39 (घ) समान कार्य के लिए समान वेतन दिये जाने की गारंटी दी है। इन सभी कानूनों के तहत महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। इन्हीं कानूनों की मदद से भारत में स्वतंत्रता पश्चात से ही महिलाओं की गतिविधियां, शिक्षा, राजनीति, समाज, कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि सभी क्षेत्रों में रहीं हैं। इंदिरा गांधी स्वतंत्रता पश्चात एक महान व शक्तिशाली महिला के रूप में पूरे विश्व के सामने आईं। वह भारत 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रही। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपने सभी निर्णय स्वयं सोच समझकर लिये तथा वह दुनिया की सबसे लम्बे समय तक सेवारत प्रधानमंत्री रहीं।

निष्कर्ष

महिलाओं की भागीदारी समाज व राजनीति में बढ़ाने हेतु भारतीय संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं, भारतीय महिलाओं की दशा सुधारने एवं उनकी भागीदारी बढ़ाने हेतु यह एक बहुत बड़ा कदम था, जिसके द्वारा भारत की ग्रामीण महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने हेतु एक सुअवसर प्रदान किया। ग्रामीण स्तर की महिलाओं के पंचायती राज में हिस्सेदारी का एक महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ कि इसने देश भर में विधानसभा व संसद में भी महिलाओं के आरक्षण की बहस शुरू कर दी। 1995 में इस संशोधन के लागू होने से हर पाँच वर्ष में करीब 25 हजार गांवों में दस लाख महिलाएं स्थानीय सत्ता में काबिज हो रही हैं। हालांकि भारत सरकार महिलाओं के राजनीतिक व सामाजिक सशक्तिकरण हेतु बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठा रही है परन्तु फिर भी भारतीय महिलाएं आज भी पुरुषों से काफी पीछे हैं, वास्तव में महिला सशक्तिकरण हेतु सर्वप्रथम महिलाओं को ही प्रयास करने होंगे, उन्हें अपने अधिकारों से अवगत होना तथा उनका प्रयोग करना होगा न केवल घरेलू व पारिवारिक जिम्मेदारियों अपितु हर क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक व शिक्षा आदि में अपने सक्रिय व सकारात्मक भूमिका निभानी होगी क्योंकि महिलाओं के सशक्त होने पर ही पूरा समाज सशक्त होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- ए०के० शुक्ला (2007) "पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमैन", ए०पी०एच० पब्लिशिंग कारपोरेशन, दरयागंज, नई दिल्ली, पी० 7.
- आर०सी० मजूमदार और ए०डी० पुसल्वर, (1951) "भारतीय लोगों को इतिहास और संस्कृति" वाल्यूम 1, वैदिक युग, मुंबई, भारतीय विद्या भवन, पी० 394.
- पमेली सिंह (2007) "वुमैनस पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज", रावत पब्लिकेशनस, जवाहर नगर, जयपुर, पी० 23-62.
- निवेदिता मैनन (2001) "जैडर एंड पालिटिक्स इन इंडिया", आक्सफोर्ड यूनि० प्रैस, नई दिल्ली, पी० 195-262.
- www.akhandbharatnews.com
- www.infochangeindia.org.womenibp.jsp

